रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 1987/आषाढ़ 11, 1909
No. 355] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 1987/ASADHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1987

अधिसूचना

सं. 179/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 627(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 5902.20 के अन्तर्गत आने वाले पालियस्टर के अप्रसंस्कृत टायर कार्ड फैब्रिक को, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना दो रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से संगणित रकम से अधिक है ।

[फा. सं. 357/13/87-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd July, 1987

NOTIFICATION

No. 179/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unprocessed tyre cord fabrics of polyesters falling under sub-heading No. 5902.20 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from so much of the duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees two per kilogram.

[F. No. 357/13/87-TRU]

अधिसूचना

सं. 180/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 628(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 223/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में "केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं. 5805.14 के अन्तर्गत आने वाले कमीदा किया हुआ कृत्रिम फैब्रिक" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 357/18/87-टी आर यू]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 180/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 628(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India

in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223|82-Central Excises, dated the 11th October, 1982, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, for the words, brackets and figures "man-made fabrics, falling under sub-item (2) of the Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)", the words, figures and brackets "embroidered man-made fabrics, falling under sub-heading No. 5805.14 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)" shall be substituted.

[F. No. 357|18|87-TRU]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987